न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 11/2005

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री फूलचंद पुत्र श्री उगरचन्दजी जाति जैन निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री फूलचन्द जाति जैन निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
3. श्री मीठालाल पुरोहित पुत्र श्री पुनमाजी जाति पुरोहित निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
4. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रिखबचन्द जाति जैन निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
5. श्री नरपतसिंह पुत्र श्री पहाडसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
6. श्री शांतिलाल पुत्र श्री ओबाजी पुरोहित जाति पुरोहित निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
7. श्री रूपाराम पुत्र श्री लाला माली जाति माली निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
8. श्री नैनाराम पुत्र श्री पैराजी पुरोहित जाति पुरोहित निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
9. श्री करमीराम पुत्र श्री सोनाजी रेबारी जाति रेबारी निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
10. श्री हंजारीमल पुत्र श्री पीथाजी सुथार जाति सुथार निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
11. श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री फूलचन्द जाति कुम्हार निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
12. श्री कंचन तातेड पुत्र श्री संजय तातेड जाति जैन निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
13. श्री नारायणलाल पुत्र श्री रोमाजी उर्फ रूपाजी जाति पुरोहित निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
14. श्री वंसतकुमार पुत्र श्री शंकरजी पुरोहित जाति पुरोहित निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
15. श्रीपाल भण्डारी पुत्र श्री फूलचन्द जाति जैन निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
16. श्री कुन्दनमल पुत्र श्री रिखबचन्द जाति जैन निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।
17. श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री शंकरलाल [illegible] ज[illegible] निवासी वराडा तहसील व जिला सिरोही।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक 03.06.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.12.2005 को पुलिस उप अधीक्षक सिरोही की सूचना पर प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही श्री फूलचन्द जैन पुत्र श्री उकरचन्द जैन उचित मूल्य विक्रेता वराडा की दुकान की जांच करने पहुंचने पर वहां पर 14.2 किलोग्राम के 19 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण करने से उक्त 14.2 किलोग्राम 19 घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 01.12.2005 को पुलिस उप अधीक्षक सिरोही द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही को सूचना दी गई कि ग्राम वराडा में श्री फूलचन्द पुत्र श्री उकरचन्द्र जैन उचित मूल्य विक्रेता वराडा की दुकान पर घरेलू गैस का भण्डारण किया हुआ है। मौके पर पहुंचने पर उचित मूल्य की दुकान पर श्री संजय कुमार पुत्र श्री फूलचन्द जैन निवासी वराडा व इनके पिता श्री फूलचंद पुत्र श्री उकरचन्द उपस्थित मिले। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में 19 घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डाराण अवैध रूप से पाया गया। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर उक्त सिलेण्डर सिरोही गैस सर्विस सिरोही से खरीद किया जाना बताया परन्तु मौके बिल उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए। अप्रार्थी ने उपभोक्ताओं की आठ गैस कनेक्शन पास बुक बताई जिन पर गैस एजेन्सी से खरीद की तारीख अंकित नहीं थी एवं अप्रार्थी द्वारा 17 सिलेण्डर सिरोही गैस सर्विस सिरोही से दिनांक 01.12.2005 को खरीदना बताया लेकिन मौके पर दो सिलेण्डर भारत गैस सर्विस के पाए गए। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाए जाने का निवेदन किया। कब्जे सरकार लिए गए सभी सिलेण्डर वराडा के उपभोक्ताओं के थे जो अप्रार्थी अपने जीप में सवारियों सहित भरवाने के लिए गया था एवं उक्त सभी सिलेण्डरों की गैस डायरियां अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी को किसी भी न्यायालय ने दोषसिद्ध ही नहीं किया है व न ही उनके विरूद्ध कोई मामला ही चला है इस कारण गैस सिलेण्डर जब्त नहीं किए जा सकते है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत Cr.L.R.(Raj.) 1995 M/s. Dhedhia Traders [illegible] Rajasthan पेश किया। अप्रार्थी प्राथी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को [illegible] लिए जाने से उपभोक्ताओं को खाने बनाने में भारी समस्या का सामना [illegible] रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार [illegible] उनके मालिकी स्वामित्व का है जिसे उन्हें वापस दिया [illegible] करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मैने प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि 01.12.2005 को पुलिस उप अधीक्षक सिरोही द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही को सूचना दी गई कि ग्राम वराडा में श्री फूलचन्द पुत्र श्री उकरचन्द्र जैन उचित मूल्य विक्रेता वराडा की दुकान पर घरेलू गैस का भण्डारण किया हुआ है। मौके पर पहुंचने पर उचित मूल्य की दुकान पर श्री संजय कुमार पुत्र श्री फूलचन्द जैन निवासी वराडा व इनके पिता श्री फूलचंद पुत्र श्री उकरचन्द उपस्थित मिले। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में 19 घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डाराण अवैध रूप से पाया गया। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर उक्त सिलेण्डर सिरोही गैस सर्विस सिरोही से खरीद किया जाना बताया परन्तु मौके बिल उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए। अप्रार्थी ने उपभोक्ताओं की आठ गैस कनेक्शन पास बुक बताई जिन पर गैस एजेन्सी से खरीद की तारीख अंकित नहीं थी एवं अप्रार्थी द्वारा 17 सिलेण्डर सिरोही गैस सर्विस सिरोही से दिनांक 01.12.2005 को खरीदना बताया लेकिन मौके पर दो सिलेण्डर भारत गैस सर्विस के पाए गए। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डर उनके द्वारा पेश की गई गैस डायरियों के उपभोक्ताओं के है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इसके सम्बन्ध में उनकी गैस डायरियां भी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी ने कब्जे सरकार लिए गए घरेलू गैस सिलेण्डरों की गैस डायरियां बाद में प्रस्तुत की है। अतः उक्त प्रकरण यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरियां कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही थी। चूंकि अप्रार्थी को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं न ही उनके विरूद्ध कोई मामला ही चला है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत Cr.L.R.(Raj.) 1995 M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan का भी अवलोकन किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध सद्भावनापूर्ण रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये 19 घरेलू गैस सिलेण्ड़रों को उनके मालिकी का होने से अप्रार्थी को स्थाई रूप से उन्हें लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उपभोक्ताओ द्वारा इनका उपयोग केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3/2 का उल्लघंन किया जाना नही पाया जाता है । जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को जमानत/सुपूर्दगीनामे पर पूर्व में दिया जा चुका है। अतः अप्रार्थी द्वारा पेश की गई जमानत/सुपूर्दगीनामे को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner